न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः बीना महावर, आर0ए0एस0)

पत्रावली संख्या : 30/2021 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)

केशव कुमार गोयल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर।

आवेदक

बनाम

विवेक गर्ग पुत्र जय शिव गर्ग उम्र 27 वर्ष (खाद्य कारोवारकर्ता, मालिक एवं विक्रेता) मैसर्स मालती ट्रेडिंग कम्पनी, एनएच–21, सलेमपुर खुर्द, तह0 भुसावर जिला भरतपुर निवासी पुरानी सब्जी मण्डी, भुसावर जिला भरतपुर।

गैरसायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26(2)(ii)/51 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित :

1. प्रार्थी स्वयं
2. गैरसायल स्वयं

निर्णय

दिनांक : 09.12.2021

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत 26(2)(ii)/51 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011 के अन्तर्गत विरूद्ध गैरसायल दिनांक 07.04.2021 को प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। नियत दिनांक 09.12.2020 को गैरसायल उपस्थित। इस्तगासा की

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर (राज.)

नकल देते हुये गैरसायल को इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक 23.12.2020 को दोपहर बाद 03.00 बजे गैरसायल की फर्म मैसर्स मालती ट्रेडिंग कम्पनी, एनएच 21 सलेमपुर खुर्द तह0 भरतपुर का निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण/जांच गैरसायल की उक्त फर्म पर आम जनता के इस्तेमाल के लिये विक्रय हेतु प्लास्टिक के एक ढक्कनदार ड्रम में 100 किग्रा0 आंवला मुरब्बा (आंवला एवं चीनी निर्मित) रखा हुआ पाया गया। जिनमें मिलावट का संदेह होने पर नियमानुसार मौके पर नमूना लिया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी गई। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/1337/एक्ट/2020/155 दिनांक 25.01.2021 द्वारा उक्त आंवला मुरब्बा (आंवला एवं चीनी निर्मित) का नमूना अवमानक खाद्य पदार्थ (**Substandard Food**) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ (**Substandard Food**) प्रकृति का आंवला मुरब्बा (आंवला एवं चीनी निर्मित) विक्रय करके एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(ii) का उल्लंघन किया गया है।

आरोपों को सुन व समझकर गैरसायल का कथन है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा गैरसायल की फर्म मैसर्स बब्लू मिष्ठान भण्डार, इण्डियन पैट्रोल पम्प के पास सेवर से छैना मिठाई (रसगुल्ला) की जांच हेतु नमूना लिया गया है। जो खाद्य विश्लेषण अलवर की जॉच रिपोर्ट में अवमानक खाद्य पदार्थ (**Sabstandard Food**) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा उक्त आंवला मुरब्बा (आंवला एवं चीनी निर्मित) के निर्माण में जो अनियमितता रही है वह सहवन से हुई है। उक्त आंवला मुरब्बा (आंवला एवं चीनी निर्मित) की जांच रिपोर्ट में हानिकारक नहीं माना जाकर अवमानक स्तर का पाया गया है। गैरसायल द्वारा यह त्रृटी सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता है। गैरसायल की यह प्रथम गलती है जिसके लिये गैरसायल भविष्य में सावधानी पूर्वक देखभाल करके ही कोई प्रोडेक्ट का विक्रय करेगा। गैरसायल की यह प्रथम गलती है। इसलिये गैरसायल के प्रति नरमरूख अपनाते हुये कार्यवाही की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल के कथनों पर मनन किया गया। दिनांक 23.12.2020 को दोपहर बाद 03.00 बजे दौराने निरीक्षण/जांच गैरसायल की फर्म पर आम जनता के विक्रय हेतु आंवला मुरब्बा (आंवला एवं चीनी निर्मित) करीब 100 किग्रा0 रखा हुआ पाया

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर (राज.)

गया। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/1337/एक्ट/2020/155 दिनांक 25.01.2021 के द्वारा उक्त आंवला मुरब्बा (आंवला एवं चीनी निर्मित) का नमूना अवमानक खाद्य पदार्थ (Sabstandard Food) प्रकृति का पाया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार Total Soluble Solids% का मानक Min= 65.0% होना चाहिये था परन्तु इसका मानक 61.84% पाया गया है जो निर्धारित मानक के अनुसार कम है। दौराने सुनवाई गैरसायल के द्वारा भविष्य में इस प्रकार की अनियमियता की पुनरावृति नही करने एवं सावधानी पूर्वक फूड प्रोडेक्ट का विक्रय करना स्वीकार किया है। गैरसायल की प्रथम गलती होने के कारण भविष्य में इस प्रकार की अनियमियता की पुनरावृति नही किये जाने की चेतावनी गैरसायल को दी जाती है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत गैरसायल के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर 10000/–रूपये (दस हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायल अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बीना महावर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर